बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मेंअपील

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में **नए आरक्षण कानून को रद्द करने** के **पटना** उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

मुख्य बिंदु:

- बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बाद आरक्षण कोटा बढ़ा दिया था।
- पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

आरक्षण

- आरक्षण **सकारात्मक भेदभाव** का एक रूप है, जो **हाशिये पर पड़े वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने** तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिये बनाया गया है।
- यह **समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों को रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच में प्राथमिकता** देता है।
- इसे मूलतः वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-state-5